



संख्या: 2698/बी.एल.डी./ई-8/ 2333

दिनांक : 12 /08/2021

सेवा में,

श्री चेतन आर. पटेल,
निदेशक, मे. मधुर बिल्डर्स,
16, पटेल चैम्बर, नेअर जेड- पी
नाशिक।

विषय: पूर्ति प्रमाणपत्र / COMPLETION CERTIFICATE.

प्रिय महोदय,

संदर्भ: आपका प्रमाणपत्र दिनांक 27.07.2021।

2. संसारी, देवलाली छावनी के रेवेन्यु सर्वे संख्या 100/1+2/1 ते 3, 99/अ/4 और 58/3बी+3सी+3डी/1/1-4 पर **22300.00 वर्ग मी.** माप वाली आवासीय भवन के निर्माण हेतु भवन नक्शा **11149.82 वर्ग मी.** के कुल निर्मित क्षेत्र सहित, छावनी परिषद के संकल्प संख्या 53 दिनांक 31.08.2018 द्वारा स्वीकृत किया गया हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने टाइप - इ (विंग -जे) पर तलमंजिला + पहली मंजिल, दूसरी मंजिल पर कुल निर्मित क्षेत्र **812.45 वर्ग मी.** वाले भवन हेतु दिनांक 12/08/2021 को पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु स्वीकृति दी है। संसारी, देवलाली छावनी के रेवेन्यु सर्वे संख्या 100/1+2/1 ते 3, 99/अ/4 और 58/3बी+3सी+3डी/1/1-4 पर उक्त भवन हेतु पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करे।

2. The building plan for construction of residential building on Revenue Survey Number 100/1+2/1 to 3, 99/A/4 & 58/3B+3C+3D/1/1-4 of Sansari, Cantonment, admeasuring **22300.00 Sq.Mtrs.** had been sanctioned by the Cantonment Board, Deolali vide **CBR No. 53 dated 31.08.2018** with total built up area of **11149.82 Sq.Mtrs.** The Chief Executive Officer has approved the issuance of the completion certificate on **12.08.2021** for **Type - E (Wing-J) building on Ground + First Floor & Second Floor** with total built up area **812.45 Sq.Mtrs.** Please find enclosed the Completion Certificate for the said Building on Rev. Survey No. 100/1+2/1 to 3, 99/A/4 & 58/3B+3C+3D/1/1-4 of Sansari, Deolali Cantonment.

3. इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर छावनी अधिनियम 2006 की धारा 116 के तहत आवश्यक कराधान हेतु आपको संपत्ति का करनिर्धारण करने की आवश्यकता है। विफल होने पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(2) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

3 You are also required to get the property assessed for taxation purposes as required under Section 116 of the Cantonment Act 2006 within 15 days from receipt of this letter. Failing which, action as per Section 82(2) of the Cantonments Act, 2006 will be taken against you.

CEO has approved.



प्रतिलिपि: प्र. अधीक्षक।
छावनी बोर्ड, देवलाली

भवदीय | Yours faithfully,

(3)

(यू.जी. गोरवाडकर)
प्रशासनिक एवं जनसंपर्क अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
देवलाली छावनी परिषद के लिए
उचित कार्रवाई हेतु।

(UJ GORWADKAR)
Administrative Officer & PRO,
For Chief Executive Officer
Deolali Cantonment Board



छावनी परिषद कार्यालय
कनाउट रोड
देवलाली छावनी - 422401
नासिक, महाराष्ट्र
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
Govt. of India, Ministry of Defence
फोन : 0253-2491206, फ़ैक्स : 0253-2492599, ई-मेल : ceodeol-stats@nic.in



संख्या: 2698/बी.एल.डी./ई-8 / 1233

दिनांक : 12/08/2021

पूर्ति प्रमाणपत्र

संसारी, देवलाली छावनी के रेवेन्यू सर्वे संख्या 100/1+2/1 ते 3, 99/अ/4 और 58/3बी+3सी+3डी/1/1-4 पर आवासीय भवन के निर्माण हेतु भवन नक्शा, छावनी परिषद के संकल्प संख्या 53 दिनांक 31.08.2018 द्वारा स्वीकृत किया गया हैं और छावनी परिषद कार्यालय पत्र संख्या 2698/बी.एल.डी./ई-8/4779 दिनांक 24.09.2018 द्वारा आवेदक को जारी किया गया हैं। **टाइप - इ (विंग -जे) पर तलमंजिला + पहली मंजिल. दूसरी मंजिल** पर अतिरिक्त क्षेत्र पर कुल निर्मित क्षेत्र **812.45 वर्ग मी.** वाले भवन का निर्माण स्वीकृत भवन नक्शे के अनुसार किया गया हैं।

The building plan for construction of residential building on Revenue Survey Number 100/1+2/1 to 3, 99/A/4 & 58/3B+3C+3D/1/1-4 of Sansari, Deolali Cantonment has been sanctioned by the Cantonment Board vide **CBR No. 53 dated 31.08.2018** and released to the applicant vide Cantonment Board Office letter No. 2698/BLD/E-8/4779 dated 24.09.2018. **The residential Type - E (Wing-J) building on Ground + First Floor & Second Floor** with total built up area **812.45 Sq.mtrs.** are completed as per sanctioned building plan.

(यू वी गोरवाडकर)
प्रशासनिक एवं जनसंपर्क अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
देवलाली छावनी परिषद के लिए
(UV GORWADKAR)
Administrative Officer & PRO,
For Chief Executive Officer
Deolali Cantonment Board

प्रतिलिपि:

श्री चेतन आर. पटेल,
निदेशक, मे. मधुर बिल्डर्स,
16, पटेल चैम्बर, नेअर जेड- पी
नाशिक।

आपके आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2021 के संदर्भानुसार।